

Dublicate Copy

26-Mar-2022

आदेश

तिथि

Mar 26 2022

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा श्यामगंज कास्टर टाउन थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रकबा
54/3217	TPP 776	0 एकड़, 3.97 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती गीता राय	पति	श्री धीरेन्द्र कुमार राय

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 412 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
संदीप कुमार राय	पिता	स्व विमला प्र राय

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा श्यामगंज कास्टर टाउन के अंतर्गत असर्वोक्षित बसोड़ी सत्व की भूमि है निबंधित बिक्रय पत्र के द्वारा क्रय कर हाता के रूप में दखलकार है अतः संलग्न डीड एवं दखल के आधार पर आवेदित भूमि की नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निबंधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण वाद स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पूर्णतः अपीलिय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान **40 रुपये**

स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
MOTI LAL HEMBROM
अंचलाधिकारी देवघर

26/3/22
JUIARY (REGD NO 22504
GOVT OF JHARKHAND
1ST FLOOR, INDA